



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



19 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 27 राँची, मंगलवार,

9 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-73/2016-24952 (HRMS)--श्रीमती मेरी मङ्की, झा०प्र०से०
(तृतीय बैच, कोटि क्रमांक-273/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी के विरुद्ध
ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1166, दिनांक 17.06.2016 के माध्यम से
उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-336/मन०, दिनांक 31.05.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध
कराया गया। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-
(i) पत्रांक-332/मन०, दिनांक 30.05.2016 द्वारा जिला स्तरीय गठित टीम के निरीक्षण
प्रतिवेदन में डोभा निर्माण की दो योजना में बिना कार्य कराये सरकारी राशि का भुगतान किया
गया, जिसका एम०आई०एस० कोड (3401006002/wc/7080901054932 में FTO
(JH3401006-250516 FTO-97843/97829) द्वारा 5010.00 (पाँच हजार दस) रु०
एवं योजना सं०- (3401006002/wc/7080901054934) में FTO-JH3401006-2505110FTO
97843/JH3401006-270516APB-FTO-104109 के माध्यम से 3006.00 (तीन हजार छः) रु०

कुल राशि 8016.00 रु० हस्तांतरित किया गया, जो वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है ।

(ii) फर्जी मास्टर रौल निर्गत किया गया, जिस पर कार्य नहीं कराया गया ।

(iii) जाँच टीम को अभिलेख सहित अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाना। इससे स्पष्ट होता है कि अभिलेख का संधारण नहीं कराया जा रहा है ।

(iv) डोभा निर्माण की योजना में पर्यवेक्षण नहीं किया जाना। इसके निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्य 615 के विरुद्ध 518 में कार्य प्रारंभ किया गया है एवं मात्र 15 पूर्ण है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6447, दिनांक 26.07.2026 द्वारा श्रीमती मड़की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती मड़की के पत्र, दिनांक 17.08.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) मनरेगा के तहत डोभा निर्माण की योजना कोड सं०-7080901054932 प्र० राशि 22267/- का कार्य प्रारंभ किया गया तथा प्रथम मापी मो० 5248.00 रु० का है तथा संबंधित कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्तिका में कार्य का मापी अंकित किया गया। मापी पुस्तिका में अभियंता का हस्ताक्षर है तथा FTO सं० 97843 दिनांक 27.05.2016 द्वारा मो० 5010.00/- राशि का हस्तांतरण नियमानुसार किया गया ।

इसी प्रकार डोभा की योजना कोड सं०-7080901054934 में योजना का कार्य प्रारंभ किया गया एवं उक्त योजना की प्रा० राशि 22267 रु० है। उक्त योजना में प्रथम मापी 3088 रु० का है, जिसे संबंधित कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त में मापी अंकित किया गया है। FTO सं० 97843 दिनांक 27.05.2016 द्वारा मो० 3006/- रु० राशि का भुगतान मजदूरी मद के लिए नियमानुसार हस्तांतरण किया गया ।

(ii) मनरेगा योजनाओं के लिए मार्गदर्शिका की धारा 7.9. की कंडिका 7.9.1 में निर्देशित है कि मास्टर रौल को जारी करने हेतु प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी प्राधिकृत हैं ।

(iii) ये योजनाएं पंचायत स्तरीय योजनाएँ हैं तथा अभिलेख एवं संबंधित कागजात पंचायत सेवक/ग्राम रोजगार सेवक के पास उपलब्ध रहता है। जाँच टीम द्वारा तिथि नहीं बतायी गई थी तथा जाँच के समय संबंधित पंचायत सेवक/ग्राम रोजगार सेवक को सूचित नहीं किया जा सका। योजनाओं का अभिलेख संधारित किया गया है ।

(iv) उनके द्वारा योजनाओं का नियमित पर्यवेक्षण करते हुए 650 स्वीकृत डोभा में से 320 डोभा पर कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही 242 डोभा पूर्ण कराया ।

श्रीमती मड़की द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक- 8837, दिनांक 13.10.2016 द्वारा उपायुक्त, खूँटी से मंतव्य की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-543(ii)/मन०, दिनांक 23.12.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त द्वारा मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि-

(i) जाँच प्रतिवेदन के अनुसार योजना में कार्य प्रारंभ होने के पूर्व 01 मास्टर रोल निर्गत किया गया है, जिसमें MIS Asset के Register के अनुसार 5 श्रमिक कुल 30 मानव दिवस दर्शाते हुए कुल 5010.00 (पाँच हजार दस रू०) राशि लाभुक के खाते में FTO (JH3401006-250516 FTO97843/97829) के माध्यम से दिनांक 27.05.2016 को हस्तांतरित किया गया है, जो नियम संगत नहीं है।

(ii) जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्य प्रारंभ होने के पूर्व FTO के माध्यम से मजदूरी राशि का भुगतान की गई है, जो गबन का मामला बनता है।

(iii) जाँच टीम को प्रतिवेदन समर्पित करने के तिथि 30.05.2016 तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, इससे प्रतीत होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा नियमित पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता थी।

(iv) स्वीकृत कुल 650 डोभा में 320 में कार्य प्रारंभ कर 242 योजना को पूर्ण कराया गया, जो मात्र 37% है। पर्यवेक्षण संतोषजनक प्रतीत नहीं लग रहा है।

श्रीमती मड़की के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, खूँटी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि डोभा निर्माण (योजना कोड सं०-7080901054932) योजना में कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 27.05.2016 को 5248/- रू० की मापी दर्ज की गई है एवं मापीपुस्त के आधार पर पंचायत सेवक एवं मुखिया द्वारा 5010/- रू० का भुगतान किया गया।

इसी प्रकार डोभा निर्माण (योजना कोड सं०- 7080901054934) में कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 27.05.2016 को 3088/- रू० की मापी दर्ज की गई एवं उक्त मापी के आधार पर पंचायत सचिव एवं मुखिया द्वारा इस योजना में 3006/- का भुगतान किया गया है, जबकि आरोप पत्र में प्रतिवेदित है कि जिला स्तरीय गठित जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि बिना कार्य कराये उक्त राशि की भुगतान की गई है, परन्तु इस आरोप की पुष्टि हेतु जाँच प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य साक्ष्य आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं है, जबकि आरोपी पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य के रूप में मापी पुस्त की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है।

पंचायत स्तरीय मनरेगा योजनाओं में भुगतान के लिए संबंधित योजना के मेट, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, कनीय अभियंता एवं मुखिया सीधे रूप से जिम्मेवार होते हैं एवं मास्टर रोल निर्गत करने हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी जवाबदेह है। साथ ही प्रखंड मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी होने के नाते श्रीमती मड़की द्वारा योजनाओं के पर्यवेक्षण किया जाना भी महत्वपूर्ण दायित्व है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती मेरी मड़की, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती मेरी मड़की, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MARY MARKEY 110001165673	श्रीमती मेरी मड़की, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, अड़की, खूँटी को भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
